

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President

Mob. No.- 9334118192



Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Memo No75.....

Date ...16-6-2020

Vice President
Md. Moezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

विषय:- बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली के प्रारूप प्रस्ताव के प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग:- बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996 (अधिसूचना संख्या-12/नि.-1035/91 का.-2310 दिनांक-14.03.1997) में संशोधन के संबंध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का पत्रांक-04 दिनांक-06.01.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के गठन के लम्बे अंतराल के बाद वर्ष 1997 में इस संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996 (छायाप्रति संलग्न) को 14 मार्च, 1997 को पहली बार अति संक्षिप्त रूप में अधिसूचित किया गया था, परन्तु सेवा शर्तों में काल क्रम में विभिन्न परिवर्तनों के पश्चात भी सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में महती भूमिका निभानेवाले पदाधिकारियों की सेवा संवर्ग नियमावली में विगत 23 वर्षों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह आश्चर्यजनक किन्तु सत्य है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली का प्रारूप विगत दस वर्षों में नहीं बन पाया है तथा यह अभी भी प्रक्रियाधीन है। इससे कई तरह की व्यावहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, यथा: बिहार राज्य से बाहर के पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त करना अथवा गैर राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति इत्यादि।

2. बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुभवी पदाधिकारियों के समूह द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली का अध्ययन एवं शोध करने के उपरान्त बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली का प्रारूप प्रस्ताव (छायाप्रति संलग्न) तैयार किया गया है। इस प्रारूप में विभिन्न राज्यों के सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों का समावेश इस प्रकार से किया गया है कि बिहार राज्य की प्रगति एवं राज्य हित में एक राज्य स्तरीय सुदृढ़ प्रशासनिक तंत्र का निर्माण/विकास किया जा सके।

3. नियमावली के प्रारूप में यह प्रस्ताव है कि इस राज्य में भी अन्य राज्यों की भाँति प्रशासनिक सेवा को समूह 'क' सेवा के रूप में चिन्हित करते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी स्तर से सेवा प्रारंभ हो (जो भवदीय के आदेशानुसार किया गया है) तथा वे नियमित अंतराल पर प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर सचिव स्तर के पद से सेवानिवृत्त हों।

4. राज्य प्रशासनिक तंत्र भारतीय प्रशासनिक सेवा के नेतृत्व में कार्य करता है, जो अनुमंडल दंडाधिकारी स्तर से सेवा प्रारंभ कर 16/17 वर्षों में सचिव स्तर में प्रोन्नत होते हैं तथा प्रधान सचिव के पद पर प्रोन्नति के उपरान्त अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव के स्तर से सेवानिवृत्त होते हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनुमंडल दंडाधिकारी से सेवा प्रारंभ कर प्रधान सचिव स्तर के पद से सेवानिवृत्त होते हैं।


5. सभी अवगत हैं कि वर्ष 2010 में इस सेवा संवर्ग की भूमिका को प्रशासन में बेहतर एवं प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन किया गया था। इस पुनर्गठन से अपेक्षा थी कि महत्वपूर्ण पदों पर अपेक्षाकृत युवा पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाए। परन्तु आज की तिथि में इस सुधारात्मक ध्येय को अपेक्षित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका। तदर्थवाद तथा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली के अभाव के कारण इस संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों में कालांतर में इतनी विसंगतियाँ आ गई हैं कि इस संवर्ग के पदाधिकारियों के पदस्थापन या प्रोन्नति या वेतन विसंगति के मामलों में अपेक्षित एवं न्यायोचित लाभ ससमय लेने के लिए बाध्य होकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। राज्य के कई सेवाओं के संवर्ग नियमावली में समय-समय पर बिहार सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन किए गए हैं, यथा **बिहार न्याय (उच्च) सेवा नियमावली संशोधन, 2011**, किन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा, जो बिहार सरकार की कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग रहा है, अभी तक इस मामले में उपेक्षित है।

6. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की राज्य के विकास में उपयोगिता के संदर्भ में सरकार की अपेक्षा से हम सभी भली-भाँति अवगत हैं। इसी राज्य का निवासी होने तथा राज्य में लंबी अवधि की सेवा के उपरांत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी राज्य की स्थानीय परिस्थिति, सामाजिक परिवेश तथा भौगोलिक स्थिति से भली-भाँति अवगत होते हैं और स्थानीय समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से करने में सक्षम होते हैं। इस सेवा के पदाधिकारी अपने सेवाकाल में राज्य में विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर विभिन्न विभागों में कार्य करने के पश्चात् अन्य केन्द्रीय सेवाओं/राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों की तुलना में अनुभव आधारित दृष्टिकोण से कार्य निष्पादन बेहतर तरीके से कर सकते हैं और यही कार्यक्षमता उन्हें अन्य पदाधिकारियों/सेवाओं से विशिष्ट बनाती है। बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी राज्य के राजस्व, विकास, निर्वाचन एवं आपदा सहित विधि-व्यवस्था संधारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के सफल निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं तथा प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि सेवा शर्तों/नियमावली को आकर्षक बना कर राज्य की प्रतिभाओं को सेवा के प्रति आकर्षित किया जाए तथा संवर्ग के पदाधिकारियों का राज्य हित में मनोबल बढ़ाया जा सके।


7. बाधित प्रोन्नति एवं शर्तों की अन्य विसंगतियों के कारण नैराश्य एवं कुण्ठा भरे माहौल में आज पूरा संवर्ग राज्य सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। इस सेवा के पदाधिकारियों को पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में नियमित रूप से होनेवाले संवर्ग निर्धारण प्रक्रिया की समीक्षा के तहत इन बिन्दुओं के संबंध में ठोस निर्णय लिया जा सकता है। अतः अनुरोध है कि देश के विभिन्न राज्यों के राज्य प्रशासनिक सेवा नियमावली के अनुकरणीय प्रावधानों को अंगीकृत करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा तैयार किए गए बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली के प्रारूप प्रस्ताव को सम्यक विचारोपरान्त इसे स्वीकृत करने हेतु समुचित कार्यवाई करने की कृपा करेंगे।

अनुलग्नक:—यथोक्त (.....पन्ना)।

विश्वासभाजन


16/6/20
(अनिल कुमार)

विश्वासभाजन


16/6/20
(शशांक शेखर सिन्हा)